न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 412/2019

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

1 तहसीलदार बाड़मेर।

1 राहूराम पुत्र शिवदान जाति मेगवाल निवासी कलोनियों की ढाणी (बूठ जेतमाल) 2 सवाईलाल पुत्र सादुलाराम जाति मेगवाल निवासी बाडमेर आगोर 3 दौलाराम पुत्र खीयाराम 4 जतनोदेवी पत्नी खीयाराम 5 जूंजाराम पुत्र रिड़मलराम 6 फतुदेवी पत्नी रिड़मलराम 7 केवलराम 8 मानाराम सताराम पिसरान देदाराम 9 वनूदेवी पत्नी देदाराम 10 खंगारराम 11 जालूराम पिसरान चिम्माराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालों का तला, सनावड़ा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 12 भारत सरकार भू-तल परिवहन मंत्रालय।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :- 1 तहसीलदार बाडमेर प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 18/03/20

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेगवालों का तला पटवार क्षैत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 808 के तीन टुकड़े होकर वर्तमान जमाबन्दी में बट्टा संख्या 969/808, 970/808 व 971/808 दर्ज है, जबकि लठ्ठा ट्रेस नक्शे में राष्ट्रीय राजमार्ग की तरमीम सही नही होने से तीन टुकड़े की जगह दो टुकड़े ही अंकित है। राजमार्ग की भूमि अवाप्ति होने के बाद ग्राम सनावड़ा के नामान्तकरण संख्या 288 दिनांक 05.11.1973 के अनुसार खसरा नम्बर 808/1 रकबा 02.10 बीघा पीडब्लूडी के नाम दर्ज की गई तथा शेष खसरा नम्बर 808 रकबा 03.00 बीघा व खसरा संख्या 808/2 रकबा 02.04 बीघा दर्ज किया गया। उस समय नामन्तकरण के पुश्त भाग पर तरमीम अंकित नही की गई थी। माननीय न्यायालय एसीईएम बाडमेर के मुकदमा संख्या 367/76 में पारित विभाजन आदेश के अनुसार ग्राम सनावड़ा में दायर नामान्तकरण संख्या 568 में खसरा नमबर 808 व 808/2 को पृथक-पृथक खातेदारों के नाम दर्ज किया गया। खसरा संख्या 808 के तीनों टुकड़े उक्त बट्टा नम्बर का नामन्तकरण के पुश्त भाग पर अंकन नही होने, उपलब्ध अन्य किसी रेकर्ड में तथा मौके पर टांका, ढाणी, माठ अथवा किसी तरह की स्पष्ट कब्जा काश्त नही होने से उक्त नम्बरों का विनिश्चियन कर पाना मुश्किल है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम मेगवालों का तला के मूल खसरा संख्या 808 में अंकित नेशनल हाईवे की तरमीम दुरूस्त कर हाईवे के दोनों तरफ खसरा नम्बर 869/808 व 871/808 का निर्धारण सही किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी उप प्रबन्धक (तक.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेगवालों का तला के खसरा संख्या 970/808 रकबा 02.10 बीघा में मौके अनुसार अभिलेख में रकबा एवं राजमार्ग का क्षेत्राधिकार यथावत रखते हुए तरमीम शुद्धि की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपति नही है। शेष अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त तरमीम शुद्ध की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/613 दिनांक 03.03.2020 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम मेगवालों का तला के मूल खसरा संख्या 808 रकबा 07.14 बीघा भूमि के तीन टुकड़े होकर वर्तमान जमाबन्दी में बट्टा नम्बर 969/808, 970/808 व 971/808 दर्ज है जबकि लठ्ठा ट्रेस नक्शे में राष्ट्रीय राजमार्ग खसरा नम्बर 970/808 रकबा 02.10 बीघा गै.मु. सड़क की तरमीम सही नही होने से तीन टुकड़ों की जगह दो टुकड़े ही अंकित है, जो गलत है, जिसकी वर्तमान लठ्ठा ट्रेश नक्शे की नकल परिशिष्ठ 'ब' संलग्न है। मूल खसरा नम्बर 808 से सृजित तीनों टुकड़ों का मिलान दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' निम्नानुसार तरमीम दुरूस्त करने से उक्त वर्णित तीनों खसरों के खातेदारी अधिकारों तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नही होगा :–

क्र. सं.	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1	168	भारत सरकार भू–तल परिवहन मंत्रालय	970/808	02.10	गै.मु. सड़क	–
2	143	राहूराम पुत्र शिवदान मेगवाल निवासी कलोनियों की ढाणी (बूठ जेतमाल) 1/2 सवाईलाल पुत्र सादुलाराम जाति मेगवाल निवासी बाडमेर आगोर खातेदार	969/808	03.00	बा.सो.	0.15
3	96	दौलाराम पुत्र खींयाराम जतनोदेवी पत्नी खींयाराम, जूंजाराम पुत्र रिडमलराम फतुदेवी पत्नी रिडमलराम केवलराम मानाराम सताराम पिसरान देदाराम वनूदेवी पत्नी देदाराम खंगारराम जालूराम पिसरान चिम्माराम जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार	971/808	02.04	बा.सो.	0.11

तहसीलदार बाडमेर ने मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंसा की है।

बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट से आवेदन में अंकित तथ्यों की पुष्टी होती है।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned with CamScanner

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट व मौका प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में ग्राम मेगवालों का तला पटवार क्षैत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 808 रकबा 07.14 बीघा भूमि के तीन टुकड़े होकर वर्तमान जमाबन्दी में बट्टा नम्बर 969/808, 970/808 व 971/808 रकबा 07.14 बीघा भूमि, जो सलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 18/03/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned with CamScanner